चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र

(वाई. एस. हलवान औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के समय प्रस्तुत करने के लिए)
यह प्रमाण पत्र हलवान औ. प्र. केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने
योग्य अभ्यार्थी के लिए जारी किया जाता है।

मैं डॉ. .... (नाम)..
चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री / कु. / श्रीमती ....
.... पुत्र / पुत्री / पत्नि ....
की / का सावधानी पूर्व चिकित्सा जाँच की है।

यह प्रमाणित किया जाता है, कि अभ्यार्थी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश योग्य है। निर्धारित शारीरिक मानदण्डों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा में किसी अयोग्यता का होना नहीं पाया गया।

अभ्यार्थी को कोई गम्भीर बीमारी या मानसिक या शारीरिक दुर्बलता नहीं है, जिनके कारण वह निकट भविष्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में अथवा कार्य सम्पादन करने में अयोग्य रहे।

अतः अभ्यार्थी चिकित्सा मानदण्ड अनुसार वाई. एस. हलवान औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान में चिकित्सा के मानदण्ड अनुसार लेने योग्य है।

पहचान चिन्ह ....

अभ्यार्थी का पासपोर्ट साईज का फोटो (चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
पद व अस्पताल की मोहर

दिनांक ....

नोट :–

1 अभ्यार्थी का फोटोग्राफ उपरोक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
2 चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र राजकीय / चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) द्वारा ही हस्ताक्षरित होना चाहिए।
3 चिकित्सा अधिकारी द्वारा फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर मय सील लगी होनी चाहिए।

396

हलवान औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, पिलोद (राज0) 333029

वाई.एस.हलवान औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, पिलानी (राज0) 333031

(Common Counseling Application cum Admission Form)

रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र

कार्यालय उपयोग के लिए

रजि.संख्या :.. रजि.फीस रू.:.. शुल्क वार्षिक प्रायोगिक:..................रसीद संख्या......... वार्षिक शिक्षण शुल्क:..................रसीद संख्या........	टिप्पणी :– प्राचार्य	प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो

1. अभ्यार्थी का नाम (हिन्दी में):...
   (10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार)
   नाम अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में):

2. पिता का नाम:(हिन्दी में) ....
   नाम अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में):

3. जन्म तिथि 1) शब्दों में ☐
   2) अंको में ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
   1 अगस्त 20.....–....... को आयु ☐☐ वर्ष ☐☐ माह ☐☐ दिन
4. लिंग : 1. पुरूष 2. महिला ☐
5. पता : (हिन्दी में)

स्थायी पता – मूल निवास	वर्तमान पता (पत्र व्यवहार का)
पिन :	दूरभाष नं:

6. श्रेणी क्रम संख्या :☐1. सामान्य 2. अनु.जाति 3. अनु.जनजाति 4. अपिव 5. भू.पू.सै. 6. विकलांग 7. महिला
7. निवासी : 1. झुन्झुनू जिला 2. अन्य जिला / राज्य (नाम लिखें)
8. व्यवसायों का चयन :

1.	4.
2.	5.
3.	6.

9. शैक्षिक योग्यता:

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

10. क्या आपने पूर्व में किसी संस्थान/केन्द्र में प्रवेश लिया है। नहीं/हाँ

यदि हाँ तो संस्थान/केन्द्र का नाम ....

व्यवसाय का नाम :...प्रवेश सत्र.........................

11. पिता/संरक्षक की स्थिति :

नाम:.. पता...

संबंध:.. ....

व्यवसाय :.. ....दूरभाष नं......................

हस्ताक्षर अभ्यार्थी

निर्देश:—

1. अभ्यार्थी को प्रवेश पंजीकरण आवेदन प्रपत्र के साथ दिये विवरण एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरना चाहिये। अपूर्ण आवेदन पत्र विचार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर संस्थान में पंजीकरण शुल्क सहित अन्तिम तिथि को 5:00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए।
3. आवेदन/रजिस्ट्रेशन पत्र के साथ संलग्नक :
   क) मैट्रिक और अन्य जो परीक्षा उत्तीर्ण की है सभी की फोटोस्टेट सत्यापित प्रति (मूल दस्तावेज नहीं)
   ख) जन्मतिथि प्रमाण के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र।
   ग) रू 1000/— नगद/पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट हलवान औ.प्रशिक्षण केन्द्र, पिलानी के नाम देय।
   घ) स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा 10/— रूपये के डाक टिकट सहित।
   ङ) अन्तिम संस्थान प्रधान द्वारा जारी किया चरित्र प्रमाण पत्र।
4. प्रवेश के बाद अभ्यार्थी किसी और प्रशिक्षण संस्थान में नियमित और अंशकालीन रूप से अध्ययन नहीं कर सकेगा तथा अन्य किसी पाठ्यक्रम की परीक्षा में नियमित अथवा स्वयंपाठी छात्र के रूप में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. आवेदन पत्र के साथ अथवा साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न राजकीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. चयन होने पर अभ्यार्थी द्वारा शुल्क उसी दिन जमा कराना होगा।

अनुशासनात्मक नियम :—

1. प्रशिक्षणार्थी द्वारा दिये गये विवरण को गलत पाये जाने पर उसको संस्थान से पृथक किया जा सकता है। कोई शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
2. प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति, प्रगति असंतोषजनक होने पर संस्थान के नियमों का उल्लंघन करने पर प्राचार्य / अधीक्षक को उसे निलम्बन करने, संस्थान से पृथक करने का पूर्ण अधिकार है। विशेष मामलों में पुनः प्रवेश राशि के रूप में रूपये 200/— जमा करना होगा तथा पुनः प्रवेश उसी स्थिति में दिया जायेगा कि प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति परीक्षा से पूर्व नियमानुसार पूर्ण होनी सम्भावित होगी।

उपस्थिति :–

1. संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों की प्रतिदिन दो बार उपस्थिति होती है जो छात्र कक्षा में नहीं आते या विलम्ब से आते हैं या कक्षा से भाग जाते हैं, उनको उस दिन की अनुपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की जाती है।
2. प्रत्येक छात्र को एन.सी.वी.टी. (DGE&T) के नियमानुसार 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। जिन्हें कुल कार्यदिवस और कुल उपस्थिति के अनुपात से निकाला जाता है। जिन छात्रों की उपस्थिति निर्धारित से कम होगी उन्हें अन्तिम परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा। जिसका छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. एक वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश तथा शेष अवकाश संस्था के कलेण्डर के अनुसार होंगे।
4. 15 दिन से 30 दिन तक का रोग अवकाश का प्रावधान रखा गया है।
5. बिना पूर्व सूचना के लिया गया अवकाश अति आपत्तिजनक है, अतः इसके लिए रूपये 10/– प्रतिदिन प्रति अनुपस्थिति के लिये तथा लगातार पाँच दिन तक अनुपस्थित रहने पर रूपये 100/– का आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।
6. जो प्रशिक्षणार्थी मासिक परीक्षा व त्रैमासिक परीक्षा से बिना पूर्व सूचना दिये, (उचित कारण के बिना) अनुपस्थित रहता है। उक्त प्रशिक्षणार्थी से मासिक परीक्षा के लिए रूपये 50/– तथा त्रैमासिक परीक्षा के लिए रू.100/– प्रति विषय का आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।

चयन पद्धति :–

अभ्यार्थी का चयन मेरिट द्वारा किया जायेगा।

प्रवेश में आयु सीमा :–

1. अभ्यार्थी की आयु दिनांक 01 अगस्त को 14 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
   एससी/एसटी/ओबीसी/भू.पू.सै./विधवा/तलाकशुदा/विकलांग को राज्य सरकार के नियमानुसार छूट दी जायेगी।

नोटः–

1. आरक्षण प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान के निर्देशानुसार व नियमानुसार होगा परन्तु किसी भी शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी।
2. संस्थान प्रवेश के दौरान किसी भी प्रकार का अतिरिक्त अनुदान शुल्क नहीं लेती है यदि इस प्रकार की प्रक्रिया में कोई भी अभ्यार्थी लिप्त पाया जायेगा तो उसे प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। यदि प्रवेश के बाद पता चलता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और तुरन्त प्रभाव से संस्थान से नाम पृथक कर दिया जायेगा। संस्थान में दिये गये प्रत्येक शुल्क की रसीद दी जाती है, यदि रसीद नहीं दी जाती या दी गई रसीद से रूपये अधिक लिये गये है तो उसकी सूचना तुरन्त प्राचार्य को दें।

पोशाक :–

(Uniform) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के आदेशानुसार अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी (छात्र/छात्रा) हेतु स्काई ब्ल्यू शर्ट/कुर्ता, नेवी ब्ल्यू पेन्ट/सलवार तथा काले बूट/बेली पहनना आवश्यक है। बिना पोशाक के प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रशिक्षण योजना :

प्रत्येक व्यवसाय DGE&T/NCVT के नियमों के अनुसार सत्र अगस्त से प्रारम्भ होकर जुलाई में समाप्त होता है। जिसमें प्रतिदिन आठ घण्टे का प्रशिक्षण कार्य होता है और सत्र के दौरान कोई शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालिन अवकाश नहीं होता है। प्रत्येक व्यवसाय में परीक्षायें व्यवसाय के अनुसार जुलाई माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में होती है।

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र :–

प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूरी हो जाने के बाद राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (N.C.V.T.) द्वारा अन्तिम अखिल भारतीय राष्ट्रीय व्यवसायिक परीक्षा आयोजित की जायेगी और सफल प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित व्यवसायों में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र निदेशालय के माध्यम से दिये जायेंगे।

विद्यार्थी द्वारा शपथ

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :–

1. मैं कभी भी किसी बोर्ड/यूनिवर्सिटी द्वारा निष्कासित घोषित नहीं किया गया/गयी हूँ।
2. मुझे पूर्व में किसी स्कूल/कॉलेज से अस्थाई या स्थाई तौर पर निष्कासित नहीं किया गया है।
3. रजिस्ट्रेशन पत्र में दी गई सभी सूचनाऐं सही है।
4. मैंने संस्थान की विवरणिका एवं निर्देश पढ़ लिये है। मैं वचन देता/देती हूँ कि सभी नियमों का एवं प्राचार्य द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का सख्ती से पालन करूँगा/करूँगी।
5. मैं वचन देता/देती हूँ कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान मैं किसी अन्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी।
6. संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान किसी भी तरह की होने वाली दुर्घटना चोट तथा हानि के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊँगा न कि संस्थान।
7. यदि मैं अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार या चरित्र संबंधी दोषी पाया जाऊंगा/जाऊंगी तो प्राचार्य मुझे संस्थान से पृथक कर सकते है।
8. यदि मैं दो वर्षीय व्यवसाय में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्राप्त करूँगा/करूँगी तो प्रशिक्षण अवधि के दौरान अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र संस्थान में जमा करवा दूँगा/दूँगी।
9. यदि मैं किसी भी कारणवश संस्था में अपना प्रशिक्षण पूरा करने में असमर्थ होऊँगा/होऊँगी तो अपनी द्वितीय वर्ष की पूरी फीस संस्थान में जमा करवा दूँगा/दूँगी।
10. संस्थान के शैक्षणिक सत्र का मैं हमेशा पालन करूँगा/करूँगी तथा नियमित कक्षा में निर्धारित पोशाक (Uniform) पहन कर आऊंगा/आऊंगी।

हस्ताक्षर अभ्यार्थी

माता/पिता/संरक्षक द्वारा शपथ

1. मैं अपने पुत्र/वार्ड के संबंध में दी गई सूचनाओं से सहमत हूँ।
2. मैं वचन देता/देती हूँ कि जब तक मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड इस संस्थान का छात्र/छात्रा रहेगा/रहेगी उसकी फीस व अन्य खर्चे मैं वहन करूँगा/करूँगी। यदि वह दाखिले के पश्चात् संस्थान छोड़ता/छोड़ती है तो मैं फीस की मांग नहीं करूँगा/करूँगी और यदि मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड दो वर्षीय व्यवसाय में दाखिला लेता है तो उसके सभी मूल प्रमाण पत्र संस्थान में तब तक जमा रहेंगे जब तक की वह अपनी प्रशिक्षण अवधि पूरी नहीं कर लेता/लेती।
3. मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड संस्थान के सभी नियमों का पालन करेगा/करेगी। यदि वह चरित्र या संस्थान के नियमों की अवहेलना करता/करती है तो प्राचार्य उसे संस्थान से निकाल सकते हैं और प्राचार्य का फैसला मुझे मंजूर होगा।
4. यदि मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता/जाती है या उसे कोई क्षति होती है तो उसकी अपनी व मेरी जिम्मेदारी होगी न कि संस्थान की।
5. मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड दो वर्षीय व्यवसाय में प्रशिक्षण अवधि के दौरान संस्थान छोड़ता/छोड़ती है तो उसकी द्वितीय वर्ष की फीस मैं संस्थान में जमा करवाऊँगा/करवाऊँगी।

हस्ताक्षर :...

अभ्यार्थी से संबंध...

दिनांक.....................

पूरा नाम :...

पूरा पता ....

दूरभाष नं:...